

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक



11101



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING



ISBN 81-7450-582-2

प्रथम संस्करण

अप्रैल 2006 वैशाख 1928

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2007 माघ 1928

नवंबर 2007 कार्तिक 1929

मार्च 2009 फाल्गुन 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

जनवरी 2011 माघ 1932

अगस्त 2012 श्रावण 1934

अप्रैल 2013 चैत्र 1935

मई 2014 वैशाख 1936

दिसंबर 2014 पौष 1936

दिसंबर 2015 पौष 1937

जनवरी 2017 माघ 1938

नवंबर 2017 अग्रहायण 1939

जनवरी 2019 माघ 1940

PD 25T RSP

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, 2006

₹ ?????

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम.
पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद
मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित
तथा ?????????? द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। खड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708
108, 100 फ़ोट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्टेकरे
बनाशकरी III इस्टेज
बैंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740
नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446
सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454
सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम. सिराज अनवर
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल
मुख्य व्यापार प्रबंधक : गौतम गांगुली
मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
संपादक : मरियम बारा
सहायक उत्पादन अधिकारी : ए.एम. विनोद कुमार

आवरण एवं चित्रांकन

सरिता वर्मा माथुर

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाये हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिये ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिये नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरीयत की जगह खुशी का अनुभव उत्पन्न करने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिये पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिये उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और सार्थक बनाने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।



एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिये बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर तापस मजूमदार का विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिये हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी. पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली।

20 दिसंबर 2005

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान

और प्रशिक्षण परिषद

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

मुख्य सलाहकार

तापस मजूमदार, एमेरिटस प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।

समिति

आर. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, अरिगनर अन्ना राजकीय कला महाविद्यालय, विल्लुपुरम तमिलनाडु।

गोपीनाथ पेरुमुला, प्रवक्ता, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई।

जया सिंह, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

निशित रंजन, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), न्यू अलीपुर बहुदेशीय विद्यालय, बेहला, कोलकाता।

नीरजा रश्मि, प्रवाचक, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

नौशाद अली आजाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नयी दिल्ली।

प्रतिमा कुमारी, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

पूनम बक्ष्सी, वरिष्ठ प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़।

बी.सी.ठाकुर, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली।

राम गोपाल, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु।

सविता पटनायक, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), डेमोस्ट्रेशन स्कूल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर।

शर्मिष्ठा बनर्जी, प्रधानाध्यापिका, विद्या भारती बालिका उच्च विद्यालय, कोलकाता।

हिंदी अनुवाद

अनुवादक मंडल

एच. के. गुप्ता, दिल्ली।

ओ. पी. अग्रवाल, नयी दिल्ली।

कांता जोशी, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयी दिल्ली।

बी. सी. ठाकुर, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली।

भवानी शंकर बागला, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, पी.जी.डी.ए.वी, नयी दिल्ली।

रश्मि शर्मा, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, जे.एन.यू. कैंपस, नयी दिल्ली।

लीना सिंह, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, ए.जी.सी.आर., दिल्ली।

श्री प्रेम दास, नयी दिल्ली।

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, नयी दिल्ली।

रमेश चन्द्र, नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

एम.वी. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।



आभार

इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई मित्रों तथा सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एम. करपगम, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, मीनाक्षी कॉलेज, चेन्नई; जे. जॉन, निदेशक, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, नयी दिल्ली; प्रत्यूष के. मंडल, प्रवाचक, डी. ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.; नंदन रेड्डी, निदेशक (विकास), कंसर्न फॉर वर्किंग चिल्ड्रन, बैंगलोर; वी सेलवम, रिसर्च स्कॉलर, क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली; प्रोफेसर, सतीश जैन, सेंटर फॉर इकनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली; पूजा कपूर, मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड, नयी दिल्ली; प्रिया वैद्य, सरदार पटेल विद्यालय, लोधी एस्टेट, नयी दिल्ली; तथा नलिनी पद्मनाभन, डी.टी.ई.ए., सीनियर सेकेंड्री स्कूल, जनकपुरी, नयी दिल्ली को इस पुस्तक के निर्माण के लिए सहयोग और सामग्री प्रदान करने हेतु आभार प्रकट करती है।

परिषद् जॉन ब्रेमैन तथा पार्थिव शाह का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक 'वर्किंग इन द मिल नो मोर' से फोटोग्राफ का उपयोग करने हेतु आभार व्यक्त करती है। कुछ कहानियाँ पी. साईनाथ द्वारा लिखित एवम् पेंग्यूइन बुक्स, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'एवरीबॉडी लव्स ए गॉड ड्राउट' से ली गई है। किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या से संबंधित एक चित्र 'द हिंदू' से लिया गया है। पर्यावरण मुद्दों से जुड़े कुछ चित्र तथा पाठ्य-सामग्री 'स्टेट ऑफ इंडियन इनवायरमेंट-1, 2' से लिये गये हैं, जो सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट, नयी दिल्ली से प्रकाशित है। परिषद् उन लेखकों, कॉपी राइट धारकों तथा प्रकाशकों को उनके द्वारा प्रदत्त संदर्भ सामग्रियों के लिए आभार व्यक्त करती है। परिषद् प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली; नेशनल रेल म्यूजियम, नयी दिल्ली को भी उनके फोटो पुस्तकालय में उपलब्ध चित्रों के उपयोग की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। कुछ चित्र जॉन सुरेश कुमार, सायनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस; सिंधु मेनन, लेवर फाइल, नयी दिल्ली; एस. थिरूमाल मुरुगन, आचार्य, अधिमान मैट्रिकुलेशन स्कूल, ऊत्तंगराई; आर. सी. दास, सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी; रेणुका, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमली वेलफेयर, नयी दिल्ली को उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

सविता सिन्हा, अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवम् मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. को भी उनके सहयोग के लिए आभार! पांडुलिपि को जाँचने-परखने तथा उनमें वांछित परिवर्तनों के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की सलाहकार संपादक वंदना सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद।

इस पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए परिषद् दिपेन्द्र कुमार, विजय कुमार, डी.टी.पी. ऑपरेटर; विभोर सिंह, प्रूफ रीडर; विनय शंकर पाण्डेय, कॉपी एडिटर; दिनेश कुमार, इंचार्ज कंप्यूटर कक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

इस पुस्तक के प्रयोग पर

‘भारतीय आर्थिक विकास’ पर इस पुस्तक की रचना का मुख्य ध्येय पाठक को भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य समस्याओं और मुद्दों से परिचित कराना है। इसी प्रक्रिया में नव युवाओं को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ-साथ उन्हें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका की समालोचना कर पाने में सक्षम बनाना भी है। यह पुस्तक देश के आर्थिक संसाधनों और विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रयोग के विषय में भी जानकारी प्रदान कर रही है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों से जुड़े आँकड़ों द्वारा परिमाणात्मक जानकारी के साथ-साथ देश की आर्थिक नीतियों की भी एक झलक इसमें समाहित है। इन सबके आधार पर आशा की जा रही है कि पाठक अपनी विश्लेषण क्षमताओं को विकसित कर आर्थिक घटनाक्रम को समझने और भारत के आर्थिक भविष्य के विषय में अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर पाने में सफल होंगे। फिर भी, हमारा प्रयास रहा है कि पाठक पर अवधारणाओं ओर आँकड़ों का अधिक बोझ न होने पाए।

जहाँ तक विभिन्न आर्थिक प्रश्नों और प्रवृत्तियों की बात है, पुस्तक में उनके विषय में वैकल्पिक मतों को स्पष्ट किया गया है, ताकि पाठक उन पर ज्ञान आधारित चर्चाओं में भागीदार बन सकें। भारतीय आर्थिक विकास पर इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात् हमें आशा है कि पाठक अपने इर्द-गिर्द चल रहे संबद्ध स्तरीय आर्थिक घटनाक्रम को समझ पाएँगे और संचार माध्यमों (मीडिया) द्वारा उपलब्ध कराई गई तत्संबधी सूचना को समझ कर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएँगे।



इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक अध्याय में कुछ क्रियात्मक गतिविधियाँ भी सुझाई गई हैं। यह कार्य छात्रों को शिक्षकों के मार्गदर्शन में करना है। वास्तव में, इस पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के समझ पाने में शिक्षक की भूमिका को अधिक समृद्धिकारक और सार्थक बनाने का प्रयास किया गया है। इन क्रियात्मक गतिविधियों का कक्षा में परिचर्चा, आर्थिक सर्वेक्षण आदि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों, समाचार-पत्रों, टेलीविजन व अन्य स्रोतों से जानकारी (आँकड़ें) एकत्र करना आदि सम्मिलित है। विभिन्न विषयों पर विद्वानों के लेख और पुस्तकें पढ़ने के लिए भी शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाने के लिए शिक्षकों को विषय आरंभ करने से पूर्व ही कुछ कार्य प्रारंभ करने होंगे। शैक्षिक वर्ष के आरंभ में ही शिक्षार्थियों को



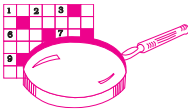
पंचवर्षीय योजनाओं, कृषि, उद्योग, सेवाओं तथा गरीबी निवारण, रोजगार सवर्धन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, आधारिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा एवं चीन व पाकिस्तान के आर्थिक घटनाक्रम आदि के विषय में समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि से उपयुक्त जानकारी एकत्र करने को कहा जाना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में कोई विषय पढ़ाना प्रारंभ करे, तो शिक्षार्थियों के पास उससे संबद्ध कतरने कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए वर्ष के आरंभ में ही इन कतरनों के संग्रह करने में जुट जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तभी वे उपयुक्त समय पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर पाएँगे। यह आदत भविष्य में उनकी शिक्षा के उत्तरोत्तर सोपानों में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी।

सभी स्कूलों को प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति खरीदनी होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम जानकारी का बहुत उपयोगी स्रोत होता है। इसमें संकलित रिपोर्टों से छात्रों का परिचय आवश्यक है। विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों में उस जानकारी का उपयोग होगा। सर्वेक्षण के सांख्यिकीय परिशिष्टों के आँकड़ों विभिन्न मुद्दों को भली-भाँति समझने में नितान्त उपयोगी होंगे।

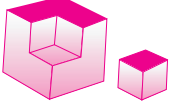
अर्थव्यवस्था के किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते समय उससे जुड़े आँकड़ों की व्याख्या अपरिहार्य हो जाती है। यदि हम संवृद्धि दरों की बात करते हैं, तो कुल संवृद्धि और क्षेत्रकवार संवृद्धि की चर्चा ही पर्याप्त नहीं होगी। शिक्षार्थियों को संवृद्धि दरों की प्रवृत्तियों, उन दरों को उपलब्ध करने की प्रक्रियाओं तथा उन्हें संभव बनाने वाले कारकों के बारे में भी बताना अनिवार्य हो जाएगा। यह सब तो केवल संवृद्धि दरों को किसी तालिका में दर्ज करने से कहीं आगे तक जाने पर ही संभव होगा। सभी अध्यायों में कुछ क्रमांक अंकित बॉक्स भी हैं। इनमें मुख्य पाठ में की गई चर्चा से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी रखी गई है। ये बॉक्स अध्ययन को वास्तविक जीवन के अधिक निकट लाने का प्रयास है।

ये आँकड़ों के मानवीय पक्ष को उजागर करते हैं, किंतु ये बॉक्स और क्रियात्मक गतिविधियों, परीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग नहीं किए जाएँगे।

अध्यायों के अंत में परंपरागत अभ्यास प्रश्नों के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त क्रियात्मक कार्य भी सुझाए गए हैं। इनमें से पाठ के बीच में दी गई अतिरिक्त गतिविधियों में से अधिक विस्तृत गतिविधियाँ शिक्षार्थियों को अध्ययन-परियोजना के रूप में दी जा सकती है। इन परियोजनाओं की रचना में शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक की सामग्री से कहीं आगे तक जाने को प्रोत्साहित करना शिक्षकों का दायित्व होगा।



सभी स्कूलों में सूचना संबंधी प्रौद्योगिकीय सुविधाएँ सुलभ होना तो आवश्यक नहीं है, फिर भी शिक्षार्थियों को यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में सभी जानकारीयें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। शिक्षार्थियों को इंटरनेट प्रयोग कर सरकारी विभागों की वेबसाइट से उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम जानते ही हैं कि गरीबी-विषयक सारी जानकारी योजना आयोग प्रकाशित करता है। छात्रों को यह बताया जाना चाहिए कि भारत सरकार के योजना आयोग की वेबसाइट पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक आयामों से जुड़ी जानकारीयें विभिन्न रिपोर्टों के रूप में सुलभ हैं। इन रिपोर्टों की मुद्रित प्रतियाँ प्राप्त होना सदैव संभव नहीं होगा। किंतु, नेट से इनको कंप्यूटर पर उतार कर इनका कक्षाओं में प्रयोग तो हो सकता है।



अब तो पिछले दस वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण जैसे दस्तावेज [www://budgetindia.nic.in](http://www.budgetindia.nic.in) नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बहुत से संगठनों ने अपने वेबसाइट का पता बदला है। यदि किताब के अलग-अलग अध्यायों में दिए गए वेबसाइट नहीं खुल रहे हैं तो उन पतों को सर्च इंजन के द्वारा ढूँढ़ें, जैसे गुगल (GOOGLE) (www.google.co.in)।

प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदुओं को सार संक्षेप के अंतर्गत दोहराने का कार्य भी किया गया है। मुख्य पाठ में प्रयुक्त तालिकाएँ अनेक शोध-पत्रों/रचनाओं से संकलित हुई हैं। उन रचनाओं को संदर्भ ग्रंथ की सूची में रखा गया है। किंतु प्रत्येक सारणी के नीचे संदर्भ स्रोत नहीं दिए हैं, क्योंकि ये विभिन्न शोध-सामग्रियों से लिए गए हैं जिनका उल्लेख 'संदर्भ' में किया गया है।

हम एक बार फिर यह बात दोहरा रहे हैं कि इस पुस्तक की रचना का ध्येय शिक्षार्थियों को भारतीय अर्थव्यवस्था की समष्टि स्तरीय समस्याओं से परिचित करा उन्हें उनके विषय में ज्ञान आधारित परिचर्चाओं में भागीदारी में समर्थ बनाना है। हमारा यह भी आग्रह है कि इस पाठ्यक्रम को सही अर्थों में समझने की सबसे अच्छी विधि परस्पर सहयोग ही होगी। अतः छात्रों और शिक्षकों को मिलजुल कर भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों/आयामों से जुड़ी जानकारी का संकलन कर पठन-पाठन के लिए उनका सही प्रयोग करना चाहिए। आप इस किताब के किसी भी हिस्से से संबंधित अपने प्रश्न और प्रतिक्रिया निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। कार्यक्रम समन्वयक (अर्थशास्त्र), सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली - 110016.



भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विषय सूची

आमुख	iii
इकाई एक : विकास नीतियाँ और अनुभव (1947-90)	1-36
अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था	3-15
-औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास	4
-कृषि क्षेत्रक	5
-औद्योगिक क्षेत्रक	7
-विदेशी व्यापार	8
-जनांकिकीय परिस्थिति	9
-व्यावसायिक संरचना	11
-आधारिक संरचना	11
अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-90)	16-36
-पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य	19
-कृषि	23
-उद्योग और व्यापार	28
-व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन	30
इकाई दो : आर्थिक सुधार 1991 से	37-58
अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण: एक समीक्षा	39
-पृष्ठभूमि	40
-उदारीकरण	42
-निजीकरण	46
-वैश्वीकरण	47
-सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था-एक समीक्षा	50
इकाई तीन : भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ	59-84
अध्याय 4 निर्धनता	61
-निर्धन कौन हैं?	62
-निर्धनों की पहचान कैसे होती है?	65



-भारत में निर्धनों की संख्या	69
-निर्धनता क्यों होती है?	70
-निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम	74
-निर्धनता निवारण कार्यक्रम- एक समीक्षा	77
अध्याय 5 भारत में मानव पूँजी का निर्माण	85-102
-मानव पूँजी क्या है?	87
-मानव पूँजी के स्रोत	87
-मानव पूँजी और मानव विकास	93
-भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति	94
-शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि	95
-भविष्य की संभावनाएँ	97
अध्याय 6 ग्रामीण विकास	103-119
-ग्रामीण विकास क्या है?	104
-ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन	105
-कृषि विपणन व्यवस्था	108
-उत्पादक विधियों का विविधीकरण	110
-धारणीय विकास और जैविक कृषि	115
अध्याय 7 रोजगार-संवृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे	120-142
-श्रमिक और रोजगार	122
-लोगों की रोजगार में भागीदारी	123
-स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक	125
-फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार	127
-संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना	129
-भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण	132
-बेरोजगारी	135
-सरकार और रोजगार सृजन	137
अध्याय 8 आधारिक संरचना	143-166
-आधारिक संरचना क्या है?	144
-आधारिक संरचना की प्रासंगिकता	145
-आधारिक संरचना की स्थिति	146
-ऊर्जा	148
-स्वास्थ्य	153

अध्याय 9 पर्यावरण और धारणीय विकास	167-184
-पर्यावरण : परिभाषा और कार्य	168
-भारत की पर्यावरण स्थिति	172
-धारणीय विकास	176
-धारणीय विकास की रणनीतियाँ	178
इकाई चार : भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव	185-203
अध्याय 10 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव	187
-विकास पथ: एक चित्रांकन	188
-जनांकिकीय संकेतक	191
-सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक	192
-मानव विकास के संकेतक	196
-विकास नीतियाँ: एक मूल्यांकन	196
पारिभाषिक शब्दावली	204-212



भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

